

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौग बौध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है० (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-65.0467 है०) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना (पुनर्वास), खण्ड, ऋशिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्रों (आरक्षित वन भूमि-47.1199 है०, (राजस्व विभाग के अभिलेख / खतौनी के अनुसार) रिजर्व फारेस्ट-3.912 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि-6.8762 है०, वन पंचायत भूमि-2.8130 है० तथा सिविल सोयम जलमग्न भूमि-4.3256 है० कुल 65.0467 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्रों का औसत घनत्व 0.4 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 8,45,000=00(रू० आठ लाख पैंतालीस हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 5,49,64,462=00(रू० पाँच करोड़ उनचास लाख चौसठ हजार चार सौ बासठ मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी